

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:- लेखा/एसपीओ/2018/1333-47

दिनांक: 11-7-2018

संयुक्त निदेशक, (समस्त)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान।

विषय:- वसूली राशि संबंधित सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 31.03.2012 तक निदेशालय स्तर पर भण्डार क्रय संगठन द्वारा दर संविदा की जाती थी। अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यादेश एवं भुगतान का कार्य किया जाता था। विभिन्न फर्मों द्वारा प्रतिभूति राशि लौटाने हेतु निदेशालय को पत्र लिखे जाते हैं।

अतः आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में फर्मों के विरुद्ध आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की बकाया वसूली हो तो उसकी पूर्ण सूचना एक माह की अवधि में निदेशालय में भिजवाने का श्रम करें। निर्धारित अवधि में उक्त सूचना नहीं भिजवायी जाने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में किसी भी फर्म के विरुद्ध कोई वसूली बकाया नहीं है। एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की बकाया वसूली पाये जाने पर आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

  
वित्तीय सलाहकार,


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 04-07-2018

क्रमांक:- लेखा/एसपीओ/2018/1333-47  
प्रतिलिपि:-

1 प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
वित्तीय सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान, जयपुर